59

संख्याः 1393 /XVIII(II)/2012–01(111)/2010

प्रेषक,

डी0एस0 गर्ब्याल,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
नैनीताल।

राजस्व अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांकः 06 दिसम्बर, 2012

विषयः–**अमर उजाला पब्लिकेशन लि0, हल्द्वानी को समाचार प्रकाशन/प्रिटिंग प्रेस हेतु ग्राम मानपुर पश्चिम, परगना भावर छ खाता, तहसील हल्द्वानी, जिला नैनीताल में कुल 0.096 है0 भूमि क्रय की अनुमति के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0–383/12–ज्येड0ए0सी0/2012 दि0–25.5.2012 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल, अमर उजाला पब्लिकेशन लि0, हल्द्वानी को समाचार प्रकाशन/प्रिटिंग प्रेस हेतु ग्राम मानपुर पश्चिम, परगना भावर छ खाता, तहसील हल्द्वानी, जिला नैनीताल में खाता सं0–174 के खसरा सं0–137 मि/0.048 है0, 138 मि/0.048 है0 कुल 0.096 है0 भूमि क्रय की अनुमति, औद्योगिक विकास विभाग की सहमति एवं उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एंव उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) अधिनियम, 2003, की धारा–154(4)(3)(क)(V)के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के साथ प्रदान करते हैं:–

1– क्रेता धारा–129–ख के अधीन विशेष श्रेणी का भूमिधर बना रहेगा और ऐसा भूमिधर भविष्य में केवल राज्य सरकार या जिले के कलैक्टर, जैसी भी स्थिति हो, की अनुमति से ही भूमि क्रय करने के लिये अर्ह होगा।

2– क्रेता बैंक या वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने के लिये अपनी भूमि बन्धक या दृष्टि बन्धित कर सकेगा तथा धारा–129 के अन्तर्गत भूमिधरी अधिकारों से प्राप्त होने वाले अन्य लाभों को भी ग्रहण कर सकेगा।

3– क्रेता द्वारा क्रय की गई भूमि का उपयोग दो वर्ष की अवधि के अन्दर, जिसकी गणना भूमि के विक्रय विलेख के पंजीकरण की तिथि से की जायेगी अथवा उसके बाद ऐसी अवधि के अन्दर जिसको राज्य सरकार द्वारा ऐसे कारणों से जिन्हें लिखित रूप में अभिलिखित किया जायेगा, उसी प्रयोजन (समाचार प्रकाश/प्रिटिंग प्रेस की स्थापना हेतु) के लिये करेगा जिसके लिये अनुज्ञा प्रदान की गई है। यदि वह ऐसा नहीं करता अथवा उस भूमि का उपयोग जिसके लिये उसे स्वीकृत किया गया था, उससे भिन्न किसी अन्य प्रयोजन हेतु करता है अथवा जिस प्रयोजनार्थ क्रय किया गया था उससे भिन्न प्रयोजन के लिये विक्रय,

.....2

उपहार या अन्यथा भूमि का अन्तरण करता है तो ऐसा अन्तरण उक्त अधिनियम के प्रयोजन हेतु शून्य हो जायेगा और धारा–167 के परिणाम लागू होंगा।

4– जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी अनुसूचित जनजाति के न हों और अनुसूचित जाति के भूमिधर होने की स्थिति में भूमि क्रय से पूर्व सम्बन्धित जिलाधिकारी से नियमानुसार अनुमति प्राप्त की जायेगी।

5– जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर न हों।

6– शासन द्वारा दी गई भूमि क्रय की अनुमति शासनादेश निर्गत होने की तिथि से 180 दिन तक वैध रहेगी।

7– सम्बन्धित आवेदक द्वारा भू–उपयोग करने से पूर्व सक्षम एजेन्सी (विनियमित क्षेत्र प्राधिकरण/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण/विकास प्राधिकरण) से नियमानुसार अनापत्ति प्राप्त करनी होगी तभी वह भूमि का उपयोग निर्धारित कार्य हेतु कर सकेगे।

8– किसी भी दशा में प्रस्तावित क्रेताओं को प्रस्तावित भूमि के अतिरिक्त अन्य भूमि के उपयोग की अनुमति नहीं होगी एंव सार्वजनिक उपयोग की भूमि या अन्य कोई भूमि पर कब्जा न हो इसके लिये भूमि क्रय के तत्काल बाद उसका सीमांकन कर लिया जाये।

9– इकाई द्वारा क्रय की जाने वाली भूमि का उपयोग समाचार प्रकाशन/प्रिटिंग प्रेस हेतु ही किया जाएगा।

10– क्रय की जाने वाली भूमि का उपयोग यदि औद्योगिक से भिन्न है तो उसे नियमानुसार औद्योगिक में परिवर्तित कराकर शासन द्वारा निर्धारित नीति/मार्गदर्शी सिद्धान्तो के अंतर्गत प्रचलित नियमों/मानको एवं भवन उपविधियो के अंतर्गत नियमानुसार कार्यवाही करते हुए फैक्ट्री भवन निर्माण का कार्य सीडा/सक्षम अधिकारी से स्वीकृत कराने के पश्चात ही स्थल पर निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाएगा।

11– इकाई को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से भी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

12– आवेदक द्वारा स्थापित किये जाने वाले उद्यम में उत्तराखण्ड मूल के निवासियों को न्यूनतम 70 प्रतिशत से अधिक को नियमित रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा।

13– यह सुनिश्चित कर लिया जाएगा कि क्रय हेतु प्रस्तावित भूमि समस्त वर्जनाओं/भार से विमुक्त है तथा संबंधित भूमि के क्रय विक्रय से किसी भूमि संबंधित कानून/विनियमों का उल्लंघन नहीं होता है।

14– भूमि का विक्रय अपरिहार्य परिस्थितियों के अतिरिक्त अनुमन्य नहीं होगा एंव ऐसी दशा में विक्रय किये जाने हेतु सकारण शासन का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

.....3

15– उपरोक्त प्रतिबन्धों/शर्तो का पूर्णतः अनुपालन न होने पर तथा भिन्न उपयोग करने, उल्लंघन हाने की दशा में अथवा किसी अन्य कारणों से, जिसे शासन उचित समझता हो, प्रश्नगत स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।

कृपया तत्क्रम में नियमानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डी0एस0 गर्ब्याल)
सचिव।

पृ0प0सं0–1393(1)समदिनांकित 2012

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2– प्रमुख सचिव, श्रम एवं सेवायोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3– अपर मुख्य राजस्व आयुक्त, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून
4– आयुक्त, कुमांऊ मण्डल, नैनीताल।
5– श्री राजुल महेश्वरी, पुत्र स्व0 श्री मुरारी लाल महेश्वरी, निदेशक, मै0 अमर उजाला पब्लिकेशन लि0, हल्द्वानी, जनपद नैनीताल।
6– निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय।
7– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सन्तोष बडोनी)
अनुसचिव।